हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

तारीख हुक्म	
11.02.2020	आज दिनांक 11.02.2020 को भू–अभिलेख वृत चोहिलावाली पटवार मण्डल किशनपुरा दिखनादा में अद्योहस्ताक्षकर्ता के भ्रमण निरीक्षण रात्रि विश्राम कार्यक्रम के दौरान उक्त पत्रावली को पेशी में लिया जाकर मौके पर प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते का सम्बधित पटवारी हल्का, भू–अभिलेख निरीक्षक तथा नायब तहसीलदार हनुमानगढ़ के साथ मौका निरीक्षण किया गया। दौराने मौका निरीक्षण प्रार्थी व अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित आये। उभयपक्ष द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थी कृष्णलाल द्वारा चक 18 के.एस.पी. के पत्थर नम्बर 132/331 (63) के किला नम्बर 1 ता 4 प्रत्येक में 0.013 हैक्टर उतरी सिरे से खाले की भूमि को छोडते हुये पश्चिम से पूर्व रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया गया है उक्त रास्ते के मुआवजास्वरूप श्रीमान् द्वारा जो भी निर्धारण किया जावेगा वह अप्रार्थीगण प्राप्त करने हेतु तैयार हैं। प्रकरण में पक्षकारान के मध्य रास्ते सम्बन्धी कोई विवाद न होने तथा रास्ता देने हेतु अप्रार्थीगण सहमत होने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मौके पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर.टी.ए. स्वीकार किया जाकर चक 18 के.एस.पी. के पत्थर नम्बर 132/331 (63) के किला नम्बर 1 ता 4 प्रत्येक में 0.013 हैक्टर उतरी सिरे से खाले की भूमि को छोडते हुये पश्चिम से पूर्व रास्ता स्वीकृत किया जाकर रास्ते में आने वाली भूमि के बदले में मुआवजा स्वरुप उतनी ही प्रार्थी की खातेदारी भूमि में से अप्रार्थीगण की भूमि के चिपते हुये अप्रार्थीगण के पक्ष में उनके हिस्सा अनुसार दर्ज करने आदेश दिये जाते हैं। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। तहसीलदार हनुमानगढ़ को निर्णय की प्रति पालना हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली नम्बर से कम जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी, एवम
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2020.02.20 16:25:21 IST
Reason: SelfAttested